दैनिक जागरण 05.09.2024

रेरा की सलाह, फ्लैट या प्लाट खरीदने से पहले कर लें जांच

जासं, पटना : फ्लैट या प्लाट खरीदने में सावधानी बरतने पर लोग भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) ने आमजन को खरीदारी से पहले कुछ बिंदुओं की जांच करने की सलाह दी है। कहा गया कि भू संपदा परियोजना में फ्लैट अथवा प्लाट खरीदने से जांच कर लें कि यह रेरा से निबंधित है या नहीं। निबंधन संख्या बीआरईआरएपी अक्षरों से शुरू होगी। प्रमोटर बुकिंग राशि के रूप में कुल मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि ही मांग रहा है या नहीं। आपसे निबंधित एग्रीमेंट फार सेल कर रहा है या नहीं। एग्रीमेंट का प्रारूप बिहार भू संपदा नियमावली में दिए गए प्रारूप के अनुसार है या नहीं, प्रमोटर ने आवंटन पत्र का प्रारूप दिया है या नहीं। जैसे ही आधे से अधिक फ्लैटों की बुकिंग हो जाएगी, प्रमोटर एसोसिएशन आफ अलौटीज बनाएगा या नहीं, यह भी सुनिश्चित कर लें।